

16/12

पश्चात्ती पेश हुई। प्रार्थी तकील उपरा

विश्वविद्यालय के सम्मत तामिल शुद्ध प्राप्त होने के बाद
भी उनकी ओर से कोई भी उपचार नहीं हुआ अतः

उनके विरुद्ध एक तरफ कार्रवाई असम प्रै लापी जाती है।
प्रार्थी तकील ने एक अनुरोध पर बहस करने का निर्णय

लिया। बहस पुनी गयी। बहस पर भन्ज किया गया।
पश्चात्ती का अध्यापन अवलोकन किया गया।

पश्चात्ती के प्रलयन दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा

प्रस्तुत आवेदन सहीकार करते प्रोग्र है

अतः निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल

पश्चात्ती किया जाता है। पश्चात्ती केवल शुद्ध

केवल दायरेल दस्ता है। अर्थात् प्रै का को।

Alabi



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> लाखा पुत्र मोहिब धोधा पुत्र मोहिब उमर पुत्र मोहिब जाति मुसलमान निवासी समो की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> निम्बा पुत्र रूपा जाति भील सतार जानी पि. उभाया जातियान मुसलमान सोमा पेलाद रूघा पि. भोमा अरजनराम पुत्र सरदाराराम जातियान मेगवाल हरचंद पुत्र महेन्द्रा हरचंद पुत्र महेन्द्रा जाति भील लतीफ पुत्र सादी निजाम पुत्र मलूक जाति मुसलमान कचरा पुत्र मुका जाति मेगवाल निवासी समों की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
---	--------------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 192/2021

दिनांक : 26.07.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र चिचड़ासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिचड़ासर के मौजा समों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 476/396 रकबा 40.00 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सेड़वा पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

दिनांक 27/07/22

क्रमांक/भू.अ./2022/ 981-85

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

- तहसीलदार सेड़वा।
- प्रार्थीगण लाखा पुत्र मोहिब वगैरा।
- विप्रार्थीगण निम्बा पुत्र रूपा वगैरा।
- थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 192/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

लाखा वगैरा बनाम निम्बा वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - भवानी शंकर

निर्णय

दिनांक - 26.07.2022


प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र चिचड़ासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिचड़ासर के मौजा समों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 476/396 रकबा 40.00 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेड़ो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़ड़ी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिय नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र चिचड़ासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिचड़ासर के मौजा समों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 476/396 रकबा 40.00 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रुबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से रथगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रुबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।




(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(300) सेड़वा